



सीमाशुल्कप्रधानआयुक्तकाकार्यालय  
**OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS**  
 हवाईअड्डाऔरएयरकार्गोकॉम्प्लेक्सआयुक्तालय / AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX  
**COMMISSIONERATE**  
 एयरइंडियासाट्सएयरफ्रीटर्मिनल, दूसरातल, देवनहल्ली, बंगलूर  
**AIR INDIA SATS AIR FREIGHT TERMINAL 2<sup>ND</sup> FLOOR: KIAP: DEVANAHALLI**  
**BENGALURU- 560300 080-22001463/64**

PUBLIC NOTICE. NO.18/2020

DATE:17.04.2020

**विषय** सीमा शुल्क- करने के संबंध में पर को सुविधा प्रदत्तलॉक डाउन की अवधि में व्याः

**ए ए 143 की धारा 1962 अधिनियम**

**Subject: Measure to facilitate trade during the lockdown period-  
 Section 143 AA of the Customs Act, 1962- reg.**

उपर्युक्त विषय के संबंध में, सभी आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, सीमा शुल्क ब्रोकर्स एवं अन्य सभी फणधारियों का ध्यान, सी.बी.आई.सी बोर्ड के एफ सं 473/02/2020-LC के जरिए जारी किये गए , दिनांक 03.04.2020के परिपत्र सं17/2020-सीमा शुल्क , की ओर आकर्षित किया जाता है । जिसमें कोविड 19 महामारी के फैलाव को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा घोषित इस लॉक डाउन की अवधि में , निर्धारण एवं वस्तुओं की निकासी के दौरान , सीमा शुल्क द्वारा वांछित बंध पत्रों को प्रस्तुत करने में सामने किये जानेवाले मुश्किलों को हल करने के लिए किए गए मांग को संबोधित करना है ।

Kind attention of all the Importers, Exporters, Customs Brokers and all other stakeholders is invited to the CBIC Board Circular No. 17/2020-Customs dated 03.04.2020 issued vide F. No. 473/02/2020-LC on the above-mentioned subject whereby difficulties in furnishing bonds required by Customs during the assessment and clearance of goods during the ongoing lockdown period announced by the Government to prevent the spread of COVID 19 pandemic in the country are seeking to be addressed.

2. कोविड महामारी के फलस्वरूप हुई महासंकठ काल की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, वस्तुओं की सीमा शुल्क निकासी को त्वरित करने एवं सीमा शुल्क नियंत्रण एवंवैध व्यापार की सुगमता के बीच संतुलन का रख रखाव करने के लिए , अल्प कालीन अवधि के लिए बोर्ड ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962, की धारा 143AA के अधीन कुछ उपायों को अपनाने के लिए निर्णय लिया है । इस संबंध में , बोर्ड ने, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 18, धारा 59 एवं धारा 143 , और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के अधीन प्रस्तुत किये जानेवाले बंध पत्रकी प्रस्तुति में, उपर्युक्त परिपत्र में चर्चा की गयी शर्तों के अनुपालन के बशर्तों के अनुसार छूट देने के लिए अनुमोदित किया है ।

In light of the unprecedented situation caused due to COVID-19 pandemic, Board has decided to take certain measures for a temporary period in terms of section 143AA of the Customs Act, 1962 to expedite Customs clearance of goods and for maintaining the balance between Customs control and facilitation of legitimate trade. In this regard, Board has approved the relaxation of the requirement to submit bonds prescribed under section18,section59 and section143 and under notifications issued

accepting undertaking in lieu of bond for the period till 15. 05. 2020. Consequently, the date for submission of proper bond in lieu of which the undertaking is being temporarily accepted is extended till 30. 05. 2020. This relaxation will be reviewed by the Board at the end of the lockdown period.

4. आगे, परिपत्र के पैरा 3.3(ii)के संदर्भ में ,बंध पत्र के बदले में प्रस्तुत वचन को आई.ई.सी धारक या प्राधिकृत सीमा शुल्क बोरर द्वारा उनके पंजीकृत ई मेल द्वारा प्रस्तुत करना पडेगा । इसके अतिरिक्त , वचन को ई संचित में भी अपलोड किया जा सकता है ।

Furthermore, in reference to Para 3. 3(ii)of the circular,the undertaking in lieu of bond is to be submitted by the registered email ID of the IEC holder or their authorised Customs Broker. In addition to this, the undertaking can also be uploaded on e-Sanchit.

5. उपर्युक्त के अलावा, संदर्भित दिनांक 03.04.2020 परिपत्र सं 17/2020 Cus एवं लोक सूचना सं 18/2020 सभी शर्तें वही होगा ।

With the exception of the above,all other conditions underlined in Circular No. 17/2020 Cus. dated 03.04.2020 and Public Notice No.18/2020 referred above, stand as they are.

6. अधिकारियोंकेलियेइसलोकसूचनाकेनिर्णयोंकेआधारपरकीजानेवालीकार्वाईकेलियेयहस्थायीआदेशकीतरहमानाजायेगा।

Action to be taken in terms of decisions taken in this Public Notice will be considered as Standing Order for officers/staff.

7. इस संबंध में कोई तकलीफ हो तो उसको, श्री एस नासर खान, अपर आयुक्त, दूर भाषा सं 080-27688258 , एवं ई मेल पता [nasser.khan@nic.in](mailto:nasser.khan@nic.in).में सूचित कर सकते हैं ।

Difficulties, if any, may please be brought to the notice of Sri.S. Nasser Khan, Additional Commissioner, Telephone No.080-27688258 Email-nasser.khan@nic.in.

अशोक 17/04/2020 .  
(अशोक/ ASHOK)

प्रधान आयुक्त/ PRINCIPAL COMMISSIONER

फाईलसंC.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

के तहत जारी की जा रही है /Issued from File C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

प्रतिप्रस्तुत /Copy submitted to:

मुख्यआयुक्त, सीमाशुल्कबेंगलूर, बेंगलूरअंचल, केंद्रीयराजस्वभवन, बेंगलूर / The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building , Bengaluru  
प्रतिप्रेषित/Copy to:

- 1) सभीअपर/ संयुक्त/उप/सहायकआयुक्तएयरपोर्टएवंएसीसीआयुक्तालय/  
All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru
- 2) फेडरेशनआफकर्नाटका, चेंबरऑफकामर्स, सं9996 , केंपेगौडारोड, गाँधीनगर, बेंगलूर  
Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), No.9996,  
Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru